

(1)

(2)

प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया।

आवेदक का आवेदन दिनांक 09/05/2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन के संदर्भ में कार्यालय तहसीलदार जगदलपुर जिला बस्तर का प्रतिवेदन दिनांक 09.06.2025 को प्राप्त हुआ। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार है:-

काटे जाने वाले वृक्षों की सूची:-

क्रमांक	वृक्ष की प्रजाति	छाता गोलाई (मीटर में)	कैफियत
1.	जामुन	1.50	गिरा हुआ
2.	अंग्रेजी ईमली	2.30	गिरा हुआ
3.	अन्य प्रजाति	1.00	गिरा हुआ
4.	अन्य प्रजाति	1.70	गिरा हुआ

अभिलेख के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि चन्द्रशेखर आजाद वार्ड जगदलपुर देहात, प.ह.नं. 00005, रा.नि.मं. जगदलपुर तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित खसरा नं. 132/37 रकबा 0.0530 हे. भूमि प्रतीभा ठाकुर पति स्व. डॉ. विजय ठाकुर पता सा. सनसिटी लालबाग जगदलपुर एवं प्रत्यजय ठाकुर पिता डॉ. विजय ठाकुर पता सा. सनसिटी लालबाग जगदलपुर के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित 10 नग सागौन वृक्ष को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उपरोक्त वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी एवं यह आदेश केवल एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही मान्य रहेगी।

आदेशानुसार आवेदक को टीप करावें तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 09/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित आदेश पारित एवं उद्घोषित।


अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जगदलपुर